उस के डीटेल्स अभी वर्क आउट नहीं हुए हैं। मगर यह धनराशि मिलने की आशा है। वास्तव में धन की कमी से यह योजना रुकने वाली नहीं है। काम चल रहा है और सेकेंड स्टेज का काम शुरू भी हो गया है जैसा कि बताया जा चुका है। धनाभाव के कारण यह काम नहीं रुकने वाला है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : यह तो मंत्री महोदय जानते हैं कि राजस्थान कैनाल के बनने के बाद राजस्थान की जो यह मूलभूत समस्या है प्रति वर्ष वहां अकाल पड़ने की उस से राहत हो जायगी, वहां अकाल नहीं पड़ेगा और भारत सरकार जो करोड़ों रुपया वहां खर्च करती है वह नहीं करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सैकड़ों मील लम्बी नहर है सैकेंड फेज की उसे माइलेज या किलोमीटर में न बता कर क्यूबिक फुट में क्यों बताना चाहते हैं? उन्होंने बताया है कि 15 हजार क्यूबिक फुट बन गया, 21 हजार क्यूबिक फुट बनना था। मैं यह जानना चाहूंगा कि मूलभूत योजना किलने पैसों की थी और अब कितने की है और भारत सरकार अब इस पंच वर्षीय योजना में राजस्थान को कितना पैसा देने वाली है?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, स्टेज I, 184 करोड़ और स्टेज II, 216 करोड़ की योजना है। इस में से मार्च 1977 तक 168 करोड़ खर्च हो चुका है दोनों स्टेज मिला कर। मार्च 1978 तक 198 करोड़ खर्च हो जायगा और जो मैंने बयान दिया है....

श्री भानु कुमार शास्त्री : मार्च 1978 तो चला गया।

श्री भानु प्रताप सिंह : तो ठीक है, इतना खर्च हो गया।

मैं कह चुका कि धनाभाव के कारण यह काम नहीं पिछड़ा है। वास्तव में जहां सिंचाई की सुविधा दी भी जा चुकी है वहां अभी कालोनाइजेशन का काम नहीं हुआ। किसान वहां रुक नहीं रहे हैं। असली समस्या राजस्थान की यह है कि जो सुविधाएं स्टेज I में दी जा चुकी हैं उन का भी प्रयोग वहां अभी 60 प्रतिशत भी नहीं हुआ है। तो मुख्य समस्या तो यह है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज और सेकेन्ड फेज कब कंप्लीट होंगे और उसका टार्गेट क्या था तथा वह कब कंप्लीट होगा? इसके अलावा पहले फेज से कितने लोगों को लाभ होगा, कितनों को हुआ है और दूसरे फेज से कितने लोगों को लाभ होना है?

इस के अलावा मैं जानना चाहता हूं क्या आप इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं जिससे इसका काम जल्दी पूरा हो सके जिस तरह से रूस में साइबेरिया से उजबिकिस्तान नहर लाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह दोनों फेज 1982–84 तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है। पहला फेज तो लगभग समाप्त हो ही गया है और दूसरा फेज 83–84 तक समाप्त हो जायेगा।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: My question was: what was the target and when was it completed?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Full potential of the first stage will be created by March, 1980 and the second stage is likely to be completed by 1983-84.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I can speak in English or Hindi or any other language that the hon. Minister understands. My question was what the target for the completion of the first phase and the second phase was and when was that completed. How many people will be benefited by the first phase and the second phase and will you utilise nuciear energy for digging out the canal like Russia?

श्री भानु प्रताप सिंह : अभी आपका यह सुझाव है, इस पर विचार होगा। अभी तक इस देश में इस प्रकार का काम नहीं हुआ है कि न्युक्लियर एनर्जी से काम को बढ़ाया जाये।

श्री समर गुह : यह तो प्राइम मिनिस्टर ही बता सकते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं तो यह बतला सकता हूं कि कितना पानी उपलब्ध होगा।

MR. SPEAKER: What was the target for Stage-I?

श्री भानु प्रताप सिंह : इसके लिए तो नोटिस चाहिए। इस समय मैं यह बतला सकता हूं कि यह कंप्लीट कब होगा।

MR. SPEAKER: He does not have the information.

राष्ट्रीय आवास नीति

*214. **डा० रामजी सिंह**: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी मकान बनाने के लिए योजना बनाई है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है;

(ख) देश में कितने लोगों के पास मकान नहीं हैं और कितने लोग स्वच्छ परिस्थितियों से नीचे के स्तर पर रहते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाने का है जिसमें (एक) उन्हें सरकारी आवास नहीं दिया जायेगा जिनके पास अपना मकान

होगा (दो) जिनकी आय 1000 रुपये से कम होगी उन्हें आवास प्राप्त करने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी (तीन) किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को तीन कमरों से बड़ा फ्लैट नहीं दिया जायेगा और (चार) संसद सदस्यों तथा मन्त्रियों को आवंटित किये जाने वाले मकानों का क्षेत्रफल भी निर्धारित किया जायेगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार गरीब लोगों के लिये पांच वर्ष तक प्रत्येक पंचायत के अन्तर्गत कम से कम 15 मकान बनाने की योजना आरम्भ करने का है; और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

भाग (क)

सरकार ने नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए निम्नलिखित आवास योजनाएं आरम्भ की हैं :—

(i) **औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना**

यह योजना निम्न वेतन भोगी औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अन्य वर्गों के लिए सहायता प्राप्त किराये के मकानों को बनाने के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत बने मकानों के आवंटन के लिए आय की सीमा 500 रुपये प्रति मास है बशर्ते कि 350 से 500 रुपये के मध्य वेतन भोगी आवंटियों द्वारा कुछ अतिरिक्त प्रभार की अदायगी की जाए। इस योजना के अन्तर्गत बने मकानों को उन्हें उनके वर्तमान दखलकारों को बेचने की सरकार तथा सरकारी अधिकरणों को अनुमति दे दी गयी है।

(ii) **निम्न आय वर्ग आवास योजना**

इस योजना में ऐसे परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 7,200 रुपये से अधिक नहीं है, मकान बनाने के लिये मकान की अनुमोदित लागत के 80 प्र० श० तक ऋण सहायता देने का प्रावधान है जो अधिक से अधिक 14,500 रुपये होगा।

(iii) **मध्यम आय वर्ग आवास योजना**

इस योजना में ऐसे परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 7201 रुपये से 18,000 रुपये के बीच है मकान बनाने के लिए मकान की अनुमोदित लागत के 80 प्र०श० तक ऋण सहायता देने का प्रावधान है जो अधिक से अधिक 27'500 रुपये होगा।

(iv) **ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम**

इस योजना में ग्रामीणों तथा उनकी सहकारिताओं को मकान बनाने के लिए निर्माण की लागत का 80 प्र० श० तक ऋण देने का प्रावधान है जो अधिक से अधिक 5000 रुपये तक है। इस योजना में गांवों के पर्यावरणीय सुधार के लिए गलियों और नालियों को बनाने के लिए भी ऋण की व्यवस्था है।

(v) **गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना**

इस योजना में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है जो स्थानीय निकायों के माध्यम से गन्दी बस्ती सुधार तथा 350 रुपये प्रति मास तक के निम्न आय वर्ग के गन्दी बस्ती निवासियों को पुनः बसाने के लिए वित्तीय सहायता देने का उपयोग करेंगे।

(vi) **राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना**

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए नये मकानों के बनाने के लिए ही निधियों का उपयोग करती हैं और वे राज्य सरकार के सामान्य नियमों के अनुसार मासिक किराये भुगतान के आधार पर कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं।

(vii) **भूमि अर्जन तथा विकास योजना**

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन और उसके विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे मकान बनाने के इच्छुक लोगों को उपर्युक्त कीमत पर तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्लाटों का विकास कर सके तथा उपलब्ध कर सकें।

(viii) **ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए वास स्थल देने की योजनायें**

इस योजना में भूमिहीन ऐसे ग्रामीणों को निशुल्क वास स्थल देने का प्रावधान है जिनका अपना आवास स्थल नहीं अथवा मकान नहीं या अपनी भूमि पर कोई झोंपड़ी नहीं है।

(ix) **बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना**

इस योजना का उद्देश्य ऐसे रेजीडेन्ट बागान कर्मचारियों को निःशुल्क मकान देना है जो समाज के कमजोर वर्गों के हैं। केन्द्रीय सरकार इस योजना के अन्तर्गत मकानों की लागत के 87½ प्र० श० तक (50 प्र० श० ऋण के रूप में और 37½ प्र० श० अनुदान के रूप में) वित्तीय सहायता देती है। शेष 12½ प्र० श० की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा की जाती है।

बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़कर जोकि केन्द्रीय क्षेत्र में है, अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं।

आवास तथा नगर विकास निगम जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, राज्य सरकारों, आवास बोर्डों, सहकारी अभिकरणों तथा अन्य स्थानीय निकायों को आवास तथा नगर विकास की संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता भी देता है।

भाग (ङ)

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 में 156 लाख मकानों की कमी का अनुमान था । राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1979 तक मकानों की यह कमी बढ़ कर 197 लाख हो जाएगी। स्वच्छ परिस्थितियों से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों की संख्या के अर्थात् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

भाग (ग)

माननीय सदस्य का संदर्भ स्पष्टतः सरकार द्वारा बनाये गये वास के बारे में राष्ट्रीय नीति से है। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, वे अधिकारी जिन के पास अपने मकान हैं, सामान्य पूल से वास के पात्र हैं। उनकी प्राथमिकता तिथि 1-6-1977 से अथवा उसके बाद की कोई भी, जैसी भी स्थिति हो, मानी गई है, सामान्य पूल में इस चालू वर्ष के दौरान जो मकान बनाए जाने का प्रस्ताव है वे अधिकांशतः उन कर्मचारियों के लिए होंगे जिनका वेतन 1000 रुपए या इससे कम होगा तथा इन क्वार्टरों में वहां तक कि तीन कमरे भी नहीं होंगे। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि भविष्य में मंत्रियों के निवास का कुर्सी-क्षेत्र लगभग 3,000 वर्ग फुट होगा जो मुख्य निवास स्थान का होगा। जहां तक संसद् सदस्यों का सम्बन्ध है; उनके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

भाग (घ)

आवास, राज्य सरकार का विषय होने के कारण, भारत सरकार ग्रामों में सीधे ही जनता मकान बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। किन्तु राज्य सरकारें ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत ऋण दे रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को वास-स्थल देने की योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में प्रावधान किया गया है।

किन्तु राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ चुनिन्दे ग्रामों में पर्यावरणीय सुधार के साथ साथ प्रदर्शन मकानों के झुण्डों के निर्माण की एक सतत प्लान योजना को कार्यान्वयन कर रहा है ।

डा० रामजी सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर बहुत विस्तृत विवरण है जिसमें राष्ट्रीय आवास नीति का वर्णन किया गया है । रोटी, कपड़ा के बाद मकान ही महत्वपूर्ण है और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में बताया गया है कि हिन्दुस्तान में 63 फीसदी ऐसे लोग हैं जो सस्ते मकान भी नहीं बना सकते हैं । अभी मंत्री महोदय ने जिन 9 स्कीमों का वर्णन किया है उनमें केवल दो स्कीमें गांवों के लिए हैं । मुझे ऐसा लगता है कि गांवों के लिए आवास व्यवस्था करने में बड़ा अन्याय हुआ है । इसीलिए जितनी सारी योजनायें बनी हैं वह शहरों के लिए बनी हैं । क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक आवास पर जो खर्च हुआ है उसमें गांवों के लिए कितना खर्च हुआ है और शहरों के लिए कितना खर्च हुआ है ?

श्री सिकन्दर बख्त : स्पीकर साहब, सवाल बड़े व्यापक ढंग से पूछा गया था इसलिए मैंने जवाब भी विस्तृत रूप से देने की कोशिश की है । जो स्कीमें दिखाई हैं उसमें गांवों में कितना खर्च हुआ है वह मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा । जो फिगर्स मैं दे रहा हूं वह 31 दिसम्बर, 1977 तक की हैं । पहली बात तो यह है कितनी भी स्कीम्स हैं उन पर अगर गौर किया जाये तो वह एकोनामिकली वीकर सेक्शन मोरएन्टेड हैं । यह बात इससे जाहिर होती है कि जितना रुपया हडको ने दिया है उसमें से 87.83 फीसदी रुपया सिर्फ उन लोगों को गया है जिनकी तनख्वाह 600 रुपए महीने से कम है । और 3, 27, 523 ड्वेलिंग्स में से 2,08,141 ड्वेलिंग्स सिर्फ इकानामिकली वीकर सैकशन्ज को, जिन की तनख्वाह 350 रुपये है, दिय गये ।

एक माननीय सदस्य : यह सब तो अर्बन को गया, रूरल में कितना दिया ?

श्री सिकन्दर बख्त : रूरल हाउसिंग की मैंने जो दो स्कीमें बतलाई हैं, उन के अलावा हाल ही में "हडको" की एक नई स्कीम आई है, जिसके जरिये हम देहातों में मकानात के लिये 50 फीसदी लोन देंगे, उस सूरत में जब कि मकान की कीमत 4 हजार रुपये से ज्यादा से ज्यादा न हो । मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार स्कीम्ज बनाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर आवास का सवाल राज्य सरकारों को ही पूरा करना होता है । हम लोग हडको के जरिये से खास तौर से देहातों पर जोर दे रहे हैं अभी जो प्लांटेशन वर्कर्स की स्कीम आई वह भी देहात के लिये हैं...!

एक माननीय सदस्य : लेकिन आप ने दिया कितनों को ?

श्री सिकन्दर बख्त : विलेज हाउसिंग स्कीम्ज के तेहत 98,571 स्कीम्ज मन्जूर की गई, जिन में से 66,053 स्कीमें पूरी हुई और इन पर 24.24 करोड़ रुपया खर्च हुआ ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : यह सब जो हुआ है—यह गांवों में हुआ है या शहरों में हुआ है ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह केवल गांवों के लिये हुआ है ।

डा० रामजी सिंह : जिस समय माननीय श्री हितेन्द्र देसाई आवास मंत्री थे, उस समय मद्रास में एक सेमिनार हुआ था—इन्टरनेशनल सेमिनार आन हाउसिंग—उस में बताया गया था कि सरकार को एक नेशनल हाउसिंग पालिसी

बनानी चाहियें, चूंकि सेमिनार ने यह अनुभव किया था कि पिछले 30 वर्षों में गांवों की आवास व्यवस्था करने के मामले में अन्याय हुआ है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, दोनों के तुलनात्मक आंकड़े हमारे मंत्री महोदय उपस्थित नहीं कर सके, निश्चित रूप से जितनी स्कीमें बनी हैं, वे सब शहरों के लिये हैं, शहरों पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ है । इसीलिये यह आवश्यक है कि एक "राष्ट्रीय आवास नीति" बनाई जाए । जब तक यह नीति नहीं बनाई जायगी, तब तक गांवों की आवास व्यवस्था हल नहीं हो सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं आवास मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा—जैसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि आवास के लिये छोटे-छोटे मकानों की आवश्यकता है—तो क्या आप इस तरह से एलोकेशन करेंगे कि रकम को स्कीम्ज में न बांटिये, मान लीजिये 100 करोड़ रुपया है—तो गांव के लिये कितना देंगे और शहर के लिये कितना देंगे—इस तरह से बांटिये । यदि आप इस तरह से करेंगे, तब हम समझेंगे कि आप गांवों के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मन लाल कपूर : शहरों के लिये बड़े और गांवों के लिये छोटे मकान क्यों होंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं पहले सवाल के जवाब में बतला चुका हूं कि जो रकम मैंने बतलाई थी, वह खालिसन गांवों के आवास के लिये खर्च हुई है । मैंने यह भी बतलाया था कि हाल ही में जो नई स्कीम ऐलान की गई है वह गांवों के मकानात के लिये है । स्टेट्स हमारे पास स्कीम्ज भेजें, उन स्कीम्ज के मातहत गांव के मकानात के निर्माण पर खर्च करेंगे ।

SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY: I want to know from the Minister how many proposals for construction of houses in urban and rural areas in Karnataka State so far have been received. If so, what decision is taken by the Ministry?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I have already enunciated the schemes and the policy that we have with regard to housing. It lies with the State Government to avail itself of those schemes and the assistance from the Central Government. It is not the Central Government which will prepare schemes for the States; the States will have to prepare their schemes and submit them to the Central Government.

MR. SPEAKER: How many proposals from Karnataka have come?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I do not have those figures just now.

श्री आर० एल० कुरील : मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 4,000 रुपए में मकान बनाने की स्कीम है और जिस में से आप पर हैड 2,000 रुपए लोन के रूप में देंगे, क्या उस के लिए कोई सेक्यूरिटी लेंगे ? जिन लोगों के पास खाने तक को नहीं है जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, वे सेक्यूरिटी नहीं दे पायेंगे । इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो 4,000 रुपये में मकान बनेगा, उस में शायद जानवर ही रह सकते हैं, आदमियों के रहने लायक वह नहीं होगा । उस में से 1,000 रुपया तो अफसरों की जेबों में ही चला जाएगा । तो मैं माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा, यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे कोई ऐसा नियम बनायेंगे जिस में जो डीकर सैक्शन के लोग हैं और स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जिन के पास खाने तक को नहीं है, उन को यह लोन मिल सके और क्या वे इस एमाउण्ट को भी और बढ़ायेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : कौन से सवाल का मैं जवाब दूं । 1,000 रुपया जो जेब में चला जाता है, उसके बारे में मैं क्या कहूं क्योंकि वह तो कोई सवाल नहीं था । दूसरी बात मुझ से यह पूछी गई है कि 4,000 हजार रुपये में मकान ठीक नहीं बनता है । मुझे यह बताने में खुशी है कि इस बारे में जो तजुर्बात हुए हैं, उन तजुर्बात के मातहत हमने बहुत से मकान बनाए हैं और 1500 रुपए की लागत में बहुत अच्छे मकान बने हैं .... (**व्यवधान**) ..

कई माननीय सदस्य : 1500 रुपये में कहीं मकान बन पाएगा ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं बहुत अच्छे मकान का जिक्र कर रहा हूं .. (**व्यवधान**) .... मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी जो लेटेस्ट स्कीम है, उसमें इस तरह के मकान बनाए गए हैं ।

दूसरी बात इन्होंने यह पूछी है कि क्या जो लोन दिया जाएगा, उसके लिए कोई सेक्यूरिटी ली जाएगी ? मैं यह बता दूं कि एक एक मकान के लिए ऋण दिये जाने का सवाल नहीं है । स्टेट गवर्नमेंट्स से सामूहिक रूप में कुछ मकानात बनाने की स्कीम आई हैं । उन स्कीमों के मातहत 50 फीसदी रकम स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाएगी । स्टेट गवर्नमेंट्स उस को खर्च करेंगी । किस ढंग से वे इस का वितरण करेंगी, यह स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है ।

मैं आप की इत्तिला के लिए यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जिन 1500 रुपए के मकानों का मैंने जिक्र किया था और जिस पर बहुत सारे सदस्य नाराज हो गये—उस केटेगरी के मकानों की हम ने प्रदर्शनी लगाई थी और जब उन मकानों का प्रदर्शन किया गया, तो उनको बहुत ज्यादा लोगों ने वेलकम किया है ।